# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
# (जिला – जोधपुर ग्रामीण)

*पीठासीन अधिकारी :–श्रीराम जी भाई कलबी आर.ए.एस.*
***मुकदमा नम्बर 148/2023***
***जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/261***

**प्रार्थीगण**

1. ईश्वरलाल पुत्र बाबूराम निवासी केरलानगर बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती</u>**

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री इन्द्राराम प्रजापत उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

**–:: निर्णय ::–**

दिनांकः– 26/3/24

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयान एवं सामलाती खातेदारी भूमि मौजा केरलानगर पटवार क्षेत्र बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर जिला जोधपुर की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 804/499, 805/499, 806/499, 498, 554 भूमि स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थी के पिता बाबूराम का देहान्त होने पर प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो द्वारा राजस्व रेकर्ड मे पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु राजस्व अधिकारियों एवं पटवारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम ईश्वरलाल के स्थान पर ईसाराम पुत्र बाबूराम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तवित सही नाम ईश्वरलाल पुत्र बाबूराम है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे नाम शुद्व करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करे हुए उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे ईसाराम पुत्र बाबूराम के स्थान पर ईश्वरलाल पुत्र बाबूराम नाम शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्वि के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न पहचान दस्तावेजों एवं अप्रार्थी (राजकीय पेरोकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्व करने में प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] क्षेत्र बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर जिला जोधपुर की सरहद मे स्थित खसरा नम्ब[illegible] 805/499, 806/499, 498, 554 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में [illegible] पुत्र बाबूराम नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। [illegible] प्रार्थी का नाम शुद्व करने की कार्यवाही करें शेष खाता [illegible] तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन [illegible]ना–अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

फैसला आज दिनांक 26/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(रामजी भाई कलबी)
**पीठासीन अधिकारी**
**एवं उपखण्ड अधिकारी,**
**बालेसर**